

पत्रांक / जी०एस०टी० / 2017-18 / 660

महत्वपूर्ण / अतिआवश्यक / तत्काल  
/ वाणिज्य कर  
कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश।  
(जी०एस०टी० अनुभाग)  
लखनऊ: दिनांक: 04 सितम्बर, 2017

- 1- समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश,
- 2- समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक), वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश,

विषय:—जी०एस०टी० क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु दिनांक 06.09.2017 को कैबिनेट सेक्रेटरी, भारत सरकार, महोदय की वीडियो कान्फ्रेंसिंग के संबंध में।

जी०एस०टी० के क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु दिनांक 06.09.2017 को अपरान्ह साढ़े तीन बजे (3:30 pm) एक वीडियो कान्फ्रेंसिंग आयोजित की गई है। वीडियो कान्फ्रेंसिंग द्वारा कैबिनेट सेक्रेटरी, भारत सरकार जी०एस०टी० क्रियान्वयन की समीक्षा करेंगे।

उपरोक्त के क्रम में यह निर्देश दिये जाते हैं कि प्रत्येक जिले के N.I.C. केन्द्र पर जिले के वरिष्ठतम अधिकारी अपनी टीम के साथ जी०एस०टी० क्रियान्वयन संबंधित सूचनाओं के साथ उपस्थित रहकर उक्त वीडियो कान्फ्रेंसिंग में प्रतिभाग करना सुनिश्चित करेंगे। जनपद में तैनात अपने समकक्ष CBEC के अधिकारी के साथ समन्वय स्थापित करते हुए निर्धारित समय पर N.I.C. केन्द्र पर वीडियो कान्फ्रेंसिंग में उपरोक्तानुसार प्रतिभाग सुनिश्चित करें तथा N.I.C. केन्द्र को सूचित करते हुए समुचित व्यवस्था सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक :- भारत सरकार द्वारा वीडियो कान्फ्रेंसिंग हेतु जारी पत्र दिनांक 02.09.2017 की छायाप्रति।



(मुकेश कुमार मिश्रा)

कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश  
लखनऊ।

पू०प०सं० व दिनांक: उक्त।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, वाणिज्य कर व मनोरंजन कर, उ०प्र० शासन को सादर अवलोकनार्थ व अध्यक्षता किये जाने के अनुरोध सहित।
2. एस०आई०ओ०, एन०आई०सी० (उ०प्र० लखनऊ) को योजना भवन को इस अनुरोध के साथ कि वीडियो कान्फ्रेंसिंग हेतु मुख्यालय एवं जनपद स्तर पर आवश्यक प्रवेध कराना सुनिश्चित करें।

सी 2615  
x  
AC(11)  
5/9/17

3. एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर एवं एडीशनल कमि०(प्रशासन), एडीशनल कमि०(जी०एस०टी०) वाणिज्य कर, उ०प्र०।
4. ज्वाइन्ट कमि० (आई०टी०), (सचलदल), (जी०एस०टी०) मुख्यालय।
5. वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी, प्रथम, कमिश्नर (कैम्प) वाणिज्य कर, मुख्यालय।
6. श्री संदीप अबिलास, प्रिन्सपल सिस्टम् एनालिस्ट, एन०आई०सी० वाणिज्य कर, मुख्यालय।
7. डिप्टी कमिश्नर (नजारत), वाणिज्य कर/नाजिर, वाणिज्य कर, मुख्यालय को योजना भवन में उक्त दिनांक को मुख्यालय के अधिकारियों व एन०आई०सी० स्टाफ के जलपान व 25 लंच पैकेट के आवश्यक प्रबन्ध करने हेतु।

  
एडीशनल कमिश्नर (जी०एस०टी०)  
वाणिज्य कर, मुख्यालय।